रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 465] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 6, 2016/आषाढ़ 15, 1938
No. 465] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 6, 2016/ ASADHA 15, 1938

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जुलाई, 2016

सा.का.नि. 670(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 6, 8 और 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमापारीय संचलन) नियम, 2016 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमापारीय संचलन) संशोधन नियम, 2016 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमापारीय संचलन) नियम, 2016 (जिन्हें आगे उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 12 के उप-नियम (6) के अंत में निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"6क. अनुसूची VI में बेसल संख्या ख3010 के सामने स्तंभ (2) में केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित विशेष आर्थिक जोन में अवस्थित इकाइयों के लिए पश्च उपभोग अपशिष्टों को छोड़कर ठोस प्लास्टिक अपशिष्ट के आयात की अनुज्ञात है।"

3. उक्त नियमों की, अनुसूची III के टिप्पणी में, "**** देश में आयात" शब्दों से प्रारंभ और नीति की समीक्षा की जाएगी" शब्दों से समाप्त होने वाले पैरा के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा अर्थात :-

"**** वास्तविक उपभोक्ता या व्यापारी को देश में अनुज्ञेय आयात इन नियमों की अनुसूची VIII के अधीन यथाविनिर्दिष्ट अपेक्षित दस्तावेजों के अनुसरण में अपेक्षित होंगे और सीमा शुल्क प्राधिकारी द्वारा सत्यापित होंगे। एक बार एमएफडी के स्वदेशी रूप से उत्पादन हो जाने पर बहुकार्य प्रिंट तथा कॉपी मशीन के लिए मुक्त व्यापार की नीति की समीक्षा की जाएगी।"

4. उक्त नियमों की, अनुसूची VI में प्रविष्टियों के पश्चात, बेसल संख्या ख3010 के सामने स्तंभ (2) की प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित टिप्पण अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् : -

"टिप्पणी : केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित विशेष आर्थिक जोन की इकाइयों को आयात अनुज्ञात है।"

[फा. सं. 23-16/2009-एचएसएमडी]

विश्वनाथ सिन्हा, संयुक्त सचिव

टिप्पणी : मूल नियम भारत के राजपत्र असाधारण में भाग-II, खंड-3, उप-खंड-(i) अधिसूचना सं. सा.का.नि. 395(अ) तारीख 4 अप्रैल, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th July, 2016

G.S.R. 670(E).—In exercise of powers confirmed by sections 6, 8 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016, namely:-

1. (1) These rules may be called Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Amendment Rules, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 (hereinafter referred to the said rules), in rule 12, after sub-rule (6), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

" 6A. The import of solid plastic waste at column (2), against Basel Number B3010 in Schedule VI, excluding post consumer wastes, is permitted to units in Special Economic Zones notified by the Central Government.".

3. In the said rules, in Schedule III, in the Note, for the portion beginning with the words " **** Import permitted in the country" and ending with the words "domestically manufactured", the following shall be substituted, namely:-

" **** Import permitted in the country to the actual users or trader in accordance with the documents required and verified by the Custom Authority as specified under Schedule VIII of these rules. The policy for free trade for multifunction print and copying machine to be reviewed once the MFDs are domestically manufactured." .

4. In the said rules, in Schedule VI, after the entries in column (2) against Basel Number B3010, the following Note shall be inserted, namely:-

"Note.- Import is permitted to the units in special economic zones notified by the Central Government.".

[F. No. 23-16/2009-HSMD]

BISHWANATH SINHA, Jt. Secy.

Note. The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number GSR 395(E), dated the 4th April, 2016.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.